[2019] 9 एससीआर 279

सुदीन दिलीप तलौलीकर

बनाम

पॉलीकैप वायर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 5528)

15 जुलाई, 2019

[न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश XXXVII, _1.3(5) - 64.18 लाख रुपये की वसूली के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ दायर सारांश मुकदमा - सारांश वाद दायर करने से पहले, प्रतिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत उसी बकाया राशि के लिए आपराधिक मामला दायर किया था, जिसे उसने बिना शर्त वापस ले लिया था - हालांकि, जबकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अभियोजन लंबित था। प्रतिवादी ने ब्याज के रूप में 28.05 लाख रुपये के अतिरिक्त दावे के साथ 36.13 लाख रुपये के लिए तत्काल सारांश मुकदमा दायर किया - वाणिज्यिक संबंध के अस्तित्व के आधार पर अपीलकर्ता-प्रतिवादी को बचाव के लिए सशर्त अवकाश दिया गया था - अपीलकर्ता की शिकायत यह थी कि आदेश XXXVI के नियम 3 के उप-नियम 5 के दूसरे परंतुक के तहत, 30 लाख रुपये जमा करने की शर्त किसी भी स्वीकार्य देय राशि के अभाव में आदेश नहीं दी जा सकती थी और उन्होंने 2011 के बाद प्रतिवादियों के साथ किसी भी लेनदेन से इनकार किया और कहा कि वर्ष 2011 के किसी भी कथित बकाया के लिए वर्ष 2014 में चेक जारी करने का कोई अवसर नहीं था। पार्टियों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन 03.06.2011 को समाप्त हो गया - प्रतिवादी ने कोई कारण नहीं बताया कि इसके संबंध में बकाया भुगतान 01.03.2014 को चेक द्वारा क्यों किया गया था - हालांकि प्रतिवादी के पास विवाद की शुरुआत में ही एक सारांश मुकदमा शुरू करने का विकल्प था, लेकिन उसने जानबूझकर एनआई अधिनियम के तहत अभियोजन का विकल्प चुना, जो निस्संदेह किसी भी निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए एक अधिक प्रभावी उपाय था। ड्रॉअर के खिलाफ एक अनुमान लगाने वाले का अपमान करना, जैसा कि एक सारांश मुकदमे में बचाव के लिए छुट्टी की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जिस स्थिति में वसूली में देरी और लंबी हो जाती है - अदालत ने 29.10.2015 को अधिनियम के तहत प्रतिवादी द्वारा स्थापित अभियोजन में, प्रतिवादी को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता थी क्योंकि अपीलकर्ता ने किसी भी देय राशि के लिए कानूनी दायित्व के अस्तित्व से इनकार कर दिया था - इसके बाद ही ऐसा हुआ सारांश वाद 24.11.2015 को स्थापित किया गया था - अधिनियम के तहत अभियोजन को बाद में 14.12.2015 को बिना शर्त वापस ले लिया गया था - इसके साथ अपीलकर्ता की विशिष्ट दलील, जिसे प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था, कि उसने दोषपूर्ण सामान वापस कर दिया था और 5 लाख रुपये की शेष बकाया राशि का भुगतान किया था, बचाव के लिए छुट्टी देने का निष्कर्ष पूरी तरह से उचित था - लेकिन पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया बचाव निश्चित रूप से एक दिखावा नहीं था और न ही ऐसा हो सकता था। इसे असंभव कहा जा सकता है - अपीलकर्ता ने एक पर्याप्त बचाव और वास्तविक सुनवाई योग्य मुद्दे उठाए थे - तथ्य यह है कि पार्टियों के बीच वाणिज्यिक संबंध हो सकते हैं, सारांश वाद की संस्था के

लिए आधार था, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से बचाव पक्ष के उचित विचार के बिना सशर्त अवकाश देने का औचित्य नहीं हो सकता था - बचाव के लिए सशर्त अनुमति देने वाले आक्षेपित आदेश अस्थिर थे और निर्धारित किए जाने योग्य थे। अपीलकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति दी जाती है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश XXXVII - सारांश वाद का उद्देश्य - बचाव के लिए बिना शर्त अवकाश प्रदान करना - अदालत की विवेकाधीन शक्ति - सारांश वाद में, यदि प्रतिवादी प्रथम दृष्टया निष्पक्ष और उचित बचाव के ऐसे तथ्यों का खुलासा करता है, तो अदालत बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति दे सकती है - यह स्वाभाविक रूप से उसके समक्ष रखी जा सकने वाली सामग्रियों के आधार पर अदालत की व्यक्तिपरक संतुष्टि से संबंधित है - हालांकि, एक उपयुक्त मामले में, यदि अदालत एक प्रशंसनीय या संभावित बचाव से संतुष्ट है और जिसे बचाव को दिखावा या चांद नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अदालत के मन में कुछ संदेह छोड़ दिया जाता है, तो वह बचाव के लिए सशर्त अनुमति दे सकता है - अदालत की पहले की व्यक्तिपरक संतुष्टि के विपरीत, बाद के मामले में अदालत में निहित विवेक का एक तत्व है - ऐसा विवेकपूर्ण नहीं है, लेकिन होना चाहिए। किसी विशेष मामले के तथ्यों में जो उचित और उचित है, उसके साथ विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए - सारांश मुकदमे का अंतिम उद्देश्य एक वाणिज्यिक विवाद का शीघ्र निपटान है - इसलिए, अदालत में निहित विवेकाधिकार के लिए आवश्यक है कि वह एक आदेश पारित न करके संबंधित अधिकारों और विवादों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखे जो अंततः विवाद के त्वरित समाधान में बाधा डाल सकता है।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

सिविल जज और हाई कोर्ट दोनों ने खुद से गलत सवाल पूछा और इसलिए हबटाउन लिमिटेड में निर्धारित विवेकाधिकार के सिद्धांतों को लागू करने में खुद को गलत तरीके से पेश किया और मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का उचित विज्ञापन और उल्लेख किए बिना बचाव के लिए सशर्त अनुमति दी। प्रतिवादी की शिकायत के अनुसार, पार्टियों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन 03.06.2011 को समाप्त हो गया। इस स्तर पर, अपीलकर्ता के तर्क पर ध्यान देना आवश्यक था कि चेक के हस्ताक्षर और सामग्री अलग-अलग लेखन में थे। प्रतिवादी के पास विवाद की शुरुआत में ही एक सारांश मुकदमा दायर करने का विकल्प था। लेकिन इसने जानबूझकर अधिनियम के तहत एक अभियोजन का विकल्प चुना, जो निस्संदेह एक अपमानजनक साधन की किसी भी निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए एक अधिक प्रभावी उपाय था, जिससे दराज के खिलाफ एक धारणा बन गई, क्योंकि सारांश वाद में बचाव के लिए छुट्टी की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, इस स्थिति में वसूली में देरी और लंबी हो जाती है। अपीलकर्ता ने पर्याप्त बचाव और वास्तविक सुनवाई योग्य मुद्दे उठाए थे। ट्रायल जज और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा उक्त मुद्दों पर ध्यान देने और विचार करने में विफलता बचाव के लिए सशर्त अनुमति देने को उचित नहीं ठहराती है। यह तथ्य कि दोनों पक्षों के बीच वाणिज्यिक संबंध हो सकते हैं, सारांश वाद की स्थापना का आधार था, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से बचाव पक्ष के उचित विचार के बिना सशर्त अनुमति देने का औचित्य नहीं हो सकता है। बचाव के लिए सशर्त अनुमति देने वाले आक्षेपित आदेशों को अस्थिर माना जाता है। अपीलकर्ता को बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति दी जाती है। [पैरा 14, 16 और 17] [287-ए-डी, जी-एच; 288-ए-बी]

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड बनाम हबटाउन लिमिटेड (2017) 1 एससीसी 568: [2016] 11 एससीआर 660 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2016] 11 एससीआर 660 को संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 5528

2017 की रिट याचिका संख्या 13155 में बॉम्बे में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के दिनांक 27.02.2018 के फैसले और आदेश से

वरुण सिंह, गौरव नायर, आकाश एस. आचार्य, सुश्री प्रणति भटनागर, अपीलकर्ता के वकील।

सुश्री संजना सड्डी, सुश्री सनियत लोढ़ा, टी महिपाल, प्रतिवादियों के वकील।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा ने सुनाया।

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के आदेश XXXVII के तहत प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ दायर 2015 के सारांश वाद संख्या 1289 में बचाव के लिए सशर्त अनुमति दिए जाने से पीड़ित है, जिसमें ब्याज सहित 64,18,609/- रुपये की वसूली की गई है।

3. अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि संहिता के आदेश XXXVII के नियम 3 के उप-नियम 5 के दूसरे प्रावधान के तहत, किसी भी स्वीकार्य देय राशि के अभाव में 30,00,000/- रुपये जमा करने की शर्त का आदेश नहीं दिया जा सकता था। तथ्य यह है कि अतीत में पार्टियों के बीच एक वाणिज्यिक लेनदेन हो सकता है, वास्तव में केवल इसलिए ऋण की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रतिवादी ने मुकदमे में ऐसा दावा किया हो सकता है। प्रतिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (जिसे बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 138 के तहत उनके द्वारा पहले स्थापित अभियोजन को बिना शर्त वापस ले लिया था। सभी वैध बकायों का भुगतान कर दिया गया है। दोषपूर्ण सामान वापस कर दिया गया था, शेष पांच लाख का भुगतान भी किया गया था, और खातों को साफ कर दिया गया था, जिसके बाद पार्टियों के बीच कोई और लेनदेन नहीं हुआ था। रिलायंस को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड बनाम हबटाउन लिमिटेड, 2017 (1) एससीसी 568 पर रखा गया था।

4. प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को आपूर्ति किए गए माल के संबंध में बकाया बकाया राशि की वसूली के लिए सारांश मुकदमा स्थापित किया गया था। यह अपीलकर्ता को प्रदर्शित करना था कि उसने माल के लिए भुगतान किया था। आदेश में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने अपने जवाब में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं रखा है। पार्टियों के बीच स्वीकृत वाणिज्यिक लेनदेन का संदर्भ उसी संदर्भ में दिया गया है। आपराधिक अभियोजन को वापस लेना अप्रासंगिक था। सारांश वाद की विचारणीयता पर कोई रोक नहीं थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को यह साबित करना है कि उसने वास्तव में दावे के अनुसार माल के लिए भुगतान किया था। लगाए गए आदेश मामले के तथ्यों में विवेक के ठोस प्रयोग पर आधारित हैं और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है।

5. तथ्यों का संक्षिप्त पुनर्मूल्यांकन मामले को शामिल मुद्दों की सराहना के लिए उचित परिप्रेक्ष्य में लाएगा। प्रतिवादी ने 09.05.2010 से 03.06.2011 के बीच अपीलकर्ता को बिजली के केबल और तार की आपूर्ति की। कुछ भुगतानों को स्वीकार करते हुए उन्होंने 34,24,633/- रुपये की बकाया देय राशि का दावा किया। इसी प्रकार, 01-04-2010 से 10-03-2011 के बीच आपूत के लिए उन्होंने 1,88,377/- रुपए की देय राशि का दावा किया। दिनांक 01.03.2014 और 01.03.2014 के चेक अनादरित होने के बाद अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 138 (बी) के तहत नोटिस दिया गया था, क्योंकि खाता अवरुद्ध कर दिया गया था। इसके बाद प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 138 के साथ-साथ धारा 142 के तहत 30.04.2014 को पूर्व लिखत के संबंध में और 01.08.2014 को बाद के साधन के संबंध में 34,24,633/- रुपये के लिए मुकदमा शुरू किया। हमारे सामने रखे गए अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग तारीखों का उल्लेख किया गया है।

6. जबकि अधिनियम के तहत अभियोजन लंबित था, प्रतिवादी ने 24.11.2015 को 36,13,410/- रुपये की संचयी राशि के लिए वर्तमान सारांश मुकदमा दायर किया, जो दो असम्मानित लिखतों की कुल राशि है, जिसमें 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 28,05,199/- रुपये का अतिरिक्त दावा किया गया, जो कुल 64,18,609 रुपये है। वाद में अधिनियम के तहत अभियोजन के लंबित होने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

7. दिनांक 16.03.2016 के 2016 के निर्णय संख्या 105 के लिए समन में, सारांश वाद में प्रतिवादी ने बकाया राशि के अपने दावे का समर्थन करने के लिए अपीलकर्ता के खातों के निष्कर्ष पर भरोसा किया। अधिनियम के तहत अभियोजन 14.12.2015 को वापस ले लिया गया था। अधिनियम के तहत अभियोजन वापस लेने का आदेश बिना शर्त प्रकृति का है और स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है।

8. अपीलकर्ता ने फैसले के लिए समन के अपने बचाव में मुकदमा दायर करने से पहले अधिनियम के तहत अभियोजन की संस्था और इसे बिना शर्त वापस लेने पर भरोसा किया और तर्क दिया कि वास्तव में कोई बकाया राशि देय नहीं थी। अपीलकर्ता ने अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष में पारित 29.10.2015 के एक आदेश पर भरोसा किया, जिसमें प्रतिवादी को शिकायत के लिए कुछ मूल दस्तावेज, सामग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और उसके बाद ही, उक्त दस्तावेजों को पेश किए बिना, अधिनियम के तहत अभियोजन बिना शर्त वापस ले लिया गया था। 2011 के बाद प्रतिवादियों के साथ किसी भी लेन-देन से इनकार करते हुए, अपीलकर्ता ने सवाल किया कि वर्ष 2011 के किसी भी कथित बकाया के लिए वर्ष 2014 में चेक जारी करने का कोई कारण नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया कि हस्ताक्षर और इसकी सामग्री के लिए उपकरणों में अलग-अलग स्याही का उपयोग किया गया था। खेप पर दोषपूर्ण सामान वापस कर दिया गया था और शेष 5,00,000/- रुपये का भुगतान किया गया था, ऐसे तथ्य जो प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं थे।

9. सिविल जज ने दिनांक 20.07.2017 के आदेश द्वारा एक सुनवाई योग्य बचाव की संतुष्टि दर्ज की, लेकिन पार्टियों के बीच वाणिज्यिक संबंध के अस्तित्व के आधार पर एक अकारण निष्कर्ष के साथ बचाव करने के लिए सशर्त अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता द्वारा किसी भी राशि को चुकाने के लिए अपनी देयता के बारे में कोई स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन क्योंकि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से वाणिज्यिक संबंध और माल की खरीद पर विवाद नहीं किया था, और पर्याप्त भुगतान दिखाने के लिए

किसी भी सामग्री के अभाव में, बचाव के लिए सशर्त छुट्टी के आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

10. आदेश XXXVII, सारांश वाद की प्रक्रिया से संबंधित संहिता के नियम 3 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

"3. प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए प्रक्रिया

XXXXX

(4) यदि प्रतिवादी उपस्थित होता है, तो वादी उसके बाद प्रतिवादी को परिशिष्ट बी में फॉर्म संख्या 4 ए या ऐसे अन्य फॉर्म में निर्णय के लिए समन जारी करेगा जो समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, जो सेवा की तारीख से कम से कम दस दिनों के लिए एक हलफनामे द्वारा समर्थित होगा जिसमें कार्रवाई के कारण और दावा की गई राशि को सत्यापित किया जाएगा और कहा जाएगा कि उसके विश्वास में मुकदमे का कोई बचाव नहीं है। (5) प्रतिवादी, निर्णय के लिए ऐसे समन की सेवा से दस दिनों के भीतर किसी भी समय, शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा ऐसे तथ्यों का खुलासा कर सकता है जो उसे बचाव करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त समझे जाएं, ऐसे मुकदमे का बचाव करने के लिए अनुमति के लिए ऐसे समन पर आवेदन कर सकता है, और बचाव करने की अनुमति उसे बिना शर्त या ऐसी शर्तों पर दी जा सकती है जो न्यायालय या न्यायाधीश को न्यायसंगत प्रतीत हों:

बशर्ते कि बचाव करने की अनुमति से इनकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो कि प्रतिवादी द्वारा खुलासा किए गए तथ्य यह संकेत नहीं देते हैं कि उसके पास उठाने के लिए पर्याप्त बचाव है या प्रतिवादी द्वारा पेश किया जाने वाला बचाव तुच्छ है: बशर्ते कि, जहां वादी द्वारा दावा की गई राशि का एक हिस्सा प्रतिवादी द्वारा उससे देय होने के लिए स्वीकार किया जाता है, मुकदमे का बचाव करने के लिए अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि प्रतिवादी द्वारा अदालत में देय राशि जमा नहीं की जाती है।

XXXXX

11. सारांश वाद में, यदि प्रतिवादी प्रथम दृष्टया निष्पक्ष और उचित बचाव के ऐसे तथ्यों का खुलासा करता है, तो अदालत बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति दे सकती है। यह स्वाभाविक रूप से उन सामग्रियों के आधार पर अदालत की व्यक्तिपरक संतुष्टि से संबंधित है जो उसके समक्ष रखी जा सकती हैं। हालांकि, एक उपयुक्त मामले में, यदि अदालत एक प्रशंसनीय या संभावित बचाव से संतुष्ट है और जिसे बचाव को दिखावा या चांद नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अदालत के मन में कुछ संदेह छोड़ दिया जाता है, तो वह बचाव के लिए सशर्त अनुमति दे सकता है। अदालत की पहले की व्यक्तिपरक संतुष्टि के विपरीत, बाद के मामले में अदालत में निहित विवेक का एक तत्व है। इस तरह का विवेकाधिकार पूर्ण नहीं है, लेकिन किसी विशेष मामले के तथ्यों में जो उचित और उचित है, उसके साथ विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। सारांश वाद का अंतिम उद्देश्य वाणिज्यिक विवाद का शीघ्र निपटान है। इसलिए अदालत में निहित विवेकाधिकार के लिए यह आवश्यक है कि वह एक आदेश पारित न करके संबंधित अधिकारों और विवादों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखे, जो अंततः विवाद के त्वरित समाधान में बाधा डाल सकता है।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों में विवाद इसलिए अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी बकाया के संबंध में नहीं है, और इसे जमा करने की आवश्यकता है। अधिनिर्णय का मुद्दा यह है कि क्या रिकार्ड में

उपलब्ध सामग्री के आधार पर सभी सामग्री और संगत कारकों पर विचार करने के बाद 30,00,000/- रुपए जमा करके बचाव के लिए सशर्त अवकाश प्रदान करने के विवेकाधिकार का उचित और उचित प्रयोग किया गया है।

13. हबटाउन लिमिटेड (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों को निर्धारित किया है जो इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए:

"17.1. यदि प्रतिवादी अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास पर्याप्त बचाव है, अर्थात, एक बचाव जो सफल होने की संभावना है, वादी निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति का हकदार नहीं है, और प्रतिवादी मुकदमे का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है।

17.2. यदि प्रतिवादी यह दर्शाते हुए सुनवाई योग्य मुद्दों को उठाता है कि उसके पास निष्पक्ष या उचित बचाव है, हालांकि सकारात्मक रूप से अच्छा बचाव नहीं है, तो वादी निर्णय पर हस्ताक्षर करने का हकदार नहीं है, और प्रतिवादी आमतौर पर बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है।

17.3. भले ही प्रतिवादी सुनवाई योग्य मुद्दों को उठाता है, अगर ट्रायल जज के पास प्रतिवादी के अच्छे विश्वास, या सुनवाई योग्य मुद्दों की वास्तविकता के बारे में संदेह रह जाता है, तो ट्रायल जज ट्रायल के समय या मोड दोनों के साथ-साथ अदालत में भुगतान या सुरक्षा प्रदान करने के लिए शर्तें लगा सकता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वाणिज्यिक कारणों के शीघ्र निपटान में सहायता करने के प्रावधानों का उद्देश्य विफल न हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह के मामलों को जमा या जमानत के रूप में अनुचित रूप से गंभीर आदेशों द्वारा बंद नहीं किया जाता है।

17.4. यदि प्रतिवादी एक बचाव उठाता है जो प्रशंसनीय लेकिन असंभव है, तो ट्रायल जज मुकदमे के समय या तरीके के साथ-साथ अदालत में भुगतान, या सुरक्षा प्रदान करने के लिए शर्तें लगा सकता है। चूंकि बचाव पक्ष सुनवाई योग्य मुद्दों को नहीं उठाता है, जमा या सुरक्षा या दोनों की शर्तें पूरे मूल धन को ऐसे ब्याज के साथ विस्तारित कर सकती हैं जैसा कि अदालत को लगता है कि मामले के न्याय की आवश्यकता है।

17.5. यदि प्रतिवादी के पास कोई ठोस बचाव नहीं है और/या कोई वास्तविक मुकदमा चलाने योग्य मुद्दा नहीं उठाता है, और अदालत इस तरह के बचाव को तुच्छ या खेदजनक पाती है, तो मुकदमे का बचाव करने की अनुमति से इनकार कर दिया जाएगा, और वादी तुरंत निर्णय का हकदार है।

17.6. यदि वादी द्वारा दावा की गई राशि का कोई हिस्सा प्रतिवादी द्वारा उससे देय माना जाता है, तो मुकदमे का बचाव करने के लिए अनुमति (भले ही सुनवाई योग्य मुद्दे या पर्याप्त बचाव उठाया गया हो), तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि प्रतिवादी द्वारा देय राशि को अदालत में जमा नहीं किया जाता है।

14. हमारी राय में, सिविल जज और उच्च न्यायालय दोनों ने खुद से गलत सवाल पूछा है और इसलिए मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का उचित विज्ञापन और उल्लेख किए बिना बचाव के लिए सशर्त अनुमति देकर उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करने में खुद को गलत दिशा दी है। तथ्य यह है कि पार्टियों के बीच वाणिज्यिक सौदा हुआ था, यह बिल्कुल भी मुद्दा नहीं था। प्रतिवादी की शिकायत के अनुसार, पार्टियों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन 03.06.2011 को समाप्त हो गया। यह कारण है कि इसके संबंध में बकाया भुगतान 01.03.2014 को चेक द्वारा क्यों किया गया। यह वाणिज्यिक व्यवहार में सामान्य अभ्यास

के लिए तर्क या तर्क को बहुत कम अपील नहीं करता है। किसी भी घटना में प्रतिवादी ने इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस स्तर पर अपीलकर्ता के इस तर्क पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि चेक के हस्ताक्षर और सामग्री अलग-अलग लेखन में हैं। प्रतिवादी के पास विवाद की शुरुआत में ही एक सारांश मुकदमा दायर करने का विकल्प था। लेकिन इसने जानबूझकर अधिनियम के तहत एक अभियोजन का विकल्प चुना, जो निस्संदेह एक अपमानजनक साधन की किसी भी निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए एक अधिक प्रभावी उपाय था, जिससे दराज के खिलाफ एक धारणा बन गई, क्योंकि सारांश वाद में बचाव के लिए अनुमति की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, इस स्थिति में वसूली में देरी और लंबी हो जाती है।

15. महत्वपूर्ण रूप से 29.10.2015 को, अधिनियम के तहत प्रतिवादी द्वारा स्थापित अभियोजन में, अदालत को प्रतिवादी को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता थी क्योंकि अपीलकर्ता ने किसी भी देय राशि के लिए किसी भी कानूनी दायित्व के अस्तित्व से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही 24.11.2015 को समरी सूट शुरू किया गया। अधिनियम के तहत अभियोजन को बाद में 14.12.2015 को बिना शर्त वापस ले लिया गया था। ये तथ्य विवाद में नहीं हैं और रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। इसके साथ अपीलकर्ता की विशिष्ट दलील के साथ, जिसे प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था, कि उसने दोषपूर्ण सामान वापस कर दिया था और 5,00,000/- रुपये की शेष बकाया राशि का भुगतान किया था, हम बचाव के लिए अनुमति देने के निष्कर्ष को पूरी तरह से उचित पाते हैं।

16. लेकिन उपरोक्त पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया बचाव निश्चित रूप से एक दिखावा या चांद नहीं था, बहुत कम तुच्छ या परेशान करने वाला था, और न ही इसे असंभव कहा जा सकता है। अपीलकर्ता ने पर्याप्त बचाव और वास्तविक सुनवाई योग्य मुद्दे उठाए थे। ट्रायल जज और हाई कोर्ट दोनों द्वारा उपरोक्त मुद्दों पर ध्यान देने और विचार करने में विफलता जैसा कि हमारे द्वारा यहां चर्चा की गई है, हमें संतुष्ट करता है कि बचाव के लिए सशर्त अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था। यह तथ्य कि दोनों पक्षों के बीच वाणिज्यिक संबंध हो सकते हैं, सारांश वाद की स्थापना का आधार था, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से बचाव पक्ष के उचित विचार के बिना सशर्त अनुमति देने का औचित्य नहीं हो सकता है।

17. परिणामस्वरूप, बचाव के लिए सशर्त अनुमति देने वाले आक्षेपित आदेशों को अस्थिर माना जाता है और उन्हें रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ता को बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति दी जाती है।

18. अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

इला देओल, एडवोकेट